न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 26/2021 (राजसमन्द डिक्री)

1. मिठु पुत्र गोवर्धन, जाति दरोगा, निवासी मदारा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. नारंगी बेवा मांगु, जाति दरोगा, निवासी मदारा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. नंदु बेवा मांगु, जाति दरोगा, निवासी मदारा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. विष्णु पुत्री मांगु पत्नी हिम्मतसिंह, जाति दरोगा, निवासी धुलखेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. गीता पुत्री मांगु पत्नी हिम्मतसिंह, जाति दरोगा, निवासी पारी, तहसील भोपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
6. हिम्मतसिंह पुत्र मांगु, जाति दरोगा, निवासी धुलखेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. भंवर पिता गोवर्धन, जाति दरोगा, निवासी मदारा (फोत) के बजाय :–

1/1. भगवती देवी बेवा भंवर, जाति दरोगा, निवासी मदारा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. उगम कुंवर पुत्री भंवर पत्नी गोवर्धनसिंह, जाति दरोगा, निवासी धुलखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. श्यामा कुंवर पुत्री भंवर पत्नी सोहनसिंह, जाति दरोगा, निवासी रावतिया, तहसील भोपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/4. कृष्णा कुंवर पुत्री भंवर पत्नी भंवरसिंह, जाति दरोगा, निवासी तुर्कियाखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/5. शंकरसिंह पिता भंवर, जाति दरोगा, निवासी धुलखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. पिन्टू पुत्री मांगु पति राजूसिंह, जाति दरोगा, निवासी महेन्द्रगढ़, तहसील सराड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. मिक्कु पुत्री मांगु पति गोपालसिंह, जाति दरोगा, निवासी महेन्द्रगढ़, तहसील सराड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:02 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा दिनांक
24—08—2021 प्रकरण संख्या 230/2010

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :— 1— श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री गोपालसिंह राव अभिभाषक रे.सं. 1/1 से 1/5
3— श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय दिनांक 30—10—2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 752 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि ग्राम मदारा में स्थित है, जो मांगू के खातेदारी की थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, किन्तु उनके वारिसान के नाम अभी तक नामान्तरकरण नहीं खुला है। मांगू के वारिस प्रतिवादी संख्या 2 व 3 उसकी पत्नियां हैं तथा प्रतिवादी संख्या 6 पुत्र व 4, 5, 7, 8 पुत्रियां हैं, जिनका विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा है। तथा वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। उक्त आराजियात का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, जिससे भूमि के विकास में दिक्कत आती है। अतः उपरोक्त आराजी का पक्षकारों के मध्य 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 8 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत प्रतीपवाद प्रस्तुत किया तथा बतया कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण की होकर 25 वर्षो से उनका कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 8 का 1/2 हिस्सा है। वादी का 1/3 हिस्सा होने का कथन गलत है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे तथा प्रतिवादीगण का प्रतीपवाद स्वीकार कर विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 8 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:02 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 5 तनकियां कायम की तथा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 24–08–2021 से वादी का वाद स्वीकार किया तथा प्रतिवादीगण का प्रतीपवाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–10–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री गोपालसिंह राव उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन नहीं किया है। वादी का विवादित आराजी में कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी उसका वाद डिक्री किया है, जो विधि विरूद्ध होकर त्रुटि पूर्ण है। वादी ने पारिवारिक समझौते के तहत विवादित आराजी से अपना हक अपीलान्टगण के हक में त्याग दिया था, जिससे उसका विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। दस्तावेज प्रदर्श डी 1 को प्रतिवादी ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कराया है, जिसका कोई खण्डन वादी द्वारा नहीं किये जाने से प्रतिवादी की साक्ष्य अखण्डनीय होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण का प्रतीपवाद खारिज कर वादी का वाद डिक्री कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रतीपवाद में चाहा गया अनतोष उन्हें दिलाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2013 AIR (Raj.) Page 89, RLW 2014 (2) Page 960, AIR 2001 (Raj.) Page 123, 2002 Supreme (SC) Page 262 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:02 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 प्रदर्श 1 में विवादित आराजी नंबर

752 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि भंवर, मांगू, मीठू पिता गोरधन दरोगा के खातेदारी में दर्ज है। अर्थात विवादित आराजी में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 भंवर का 1/3 हिस्सा, अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 मीठू का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 8 जो मांगू के वारिसान हैं का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड अनुसार है। इस संबंध में प्रतिवादीगण का यह कथन कि यह भूमि उनके आपसी पारिवारिक समझौते अनुसार उन्हें प्राप्त हुई है, जिसमें वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नहीं है। इस संबंध में एक लिखतम प्रदर्श डी.1ए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जो मात्र सादे कागज पर होकर अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्प दस्तावेज है। ऐसे अस्टाम्प एवं अनरजिस्टर्ड दस्तावेज का कानूनन कोई महत्व नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए प्रतिवादी/अपीलान्ट का प्रदीपवाद खारिज कर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है, जो हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनका हमने अवलोकन किया किन्तु उक्त न्यायिक नजीरों के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–08–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:02 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ..........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

मिठु पुत्र गोवर्धन, जाति दरोगा, निवासी मदारा, तह0 रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य — बनाम — भंवर के बजाय भगवतीदेवी बेवा भंवर, जाति दरोगा, निवासी मदारा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं.......26/2021........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....
............रेलमगरा........ मुकाम................मुवर्खे.........24...........माह...............08...............2021.........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........30..........माह.............10.......सन् 2023 रूबरू............पक्षकारान व हाजरी...............श्री मुकेश तलेसरा..........मिनजानिब अपीलान्ट व.............श्री गोपालसिंह राव

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–08–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........**X**.......)..........रूपये .... **X**.......... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............30............माह............10..............2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:02 IST
Reason: SelfAttested